सी0एस0सी0-एस0पी0वी0 (त्रिवेनी) योजना के नियम एवं शर्ते

1- जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में सी0एस0सी0-एस0पी0वी0 (त्रिवेनी) स्थापित होगें।

2- जनपद के प्रत्येक नगरपालिका/नगर पंचायत में सी0एस0सी0-एस0पी0वी0 (त्रिवेनी) स्थापित होगें।

3- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

4- आवेदक कम से कम 10वीं पास होना चाहिए एवं उसे कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। (कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाणपत्र संलग्न करें)

6- आवेदन के साथ स्वप्रमाणित प्रमाणपत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7- आवेदन फार्म एवं समस्त विवरण जनपद की बेबसाइट **Http://srdnagar.nic.in** पर उपलब्ध है तथा निःशुल्क है।

8- आवेदन के साथ पैनकार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं एक फोटो संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

9- चयन के उपरान्त 2 माह के भीतर कार्य प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदक का चयन निरस्त करते हुए वेटिंग लिस्ट के प्रथम आवेदक को अलॉट्मेंट कर दिया जायेगा।

10- यह योजना पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर है तथा महिला आवेदक एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को वरीयता दी जायेगी।

12- आवेदक जिस ग्राम पंचायत/वार्ड का निवासी है उसी ग्राम पंचायत/वार्ड से आवेदन करने पर वरीयता दी जायेगी। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

13- केन्द्र खोलने हेतु लैपटाप/डेस्कटाप, प्रिन्टर, स्कैनर, डिजिटल कैमरा एवं यू0पी0एस0/इन्वटर इत्यादि उपकरणो का होना आवश्यक है। इन सभी उपकरणो की आवेदक को स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

14. अपूर्ण या बिना संलग्नको के आवेदन निरस्त कर दिये जाएँगे।

15. किसी ग्राम पंचायत/वार्ड मे एक से ज्यादा आवेदन की दशा मे चयनित आवेदक के अलावा शेष आवेदको की वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी।

16- आवेदन एन0आई0सी0 कार्यालय मे सुबह 10 से 5 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 05.04.2015 सायं 5 बजे है।